दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

मो.दु.दा. अपील सं. 697/2006

निर्णय सुरक्षित:16 जुलाई, 2008

निर्णय निर्णित: 28 जुलाई, 2008

श्रीमती मेघावती
पत्नी - स्वर्गीय श्री मेम्बर सिंह
पता - शिव मंदिर के सामने,
गली शनि बाजार वाली,
गांव एवं पोस्ट जौहरी पुर,
दिल्ली ... अपीलार्थी

के द्वारा: श्री भोपाल सिंह, अधिवक्ता

बनाम

1. राजा राम यादव
   पुत्र - श्री राम बली यादव
   निवासी- 14-बी/46, देव नगर,
   करोल बाग, दिल्ली

2. हरप्रीत वालिया
   पुत्र - श्री सुदरसन सिंह
   निवासी- 14-बी/46, देव नगर,
   करोल बाग, दिल्ली

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी
   प्रभाग कार्यालय सं. 22,
   5/67, पाल मोहन हाउस,
   पदम सिंह रोड,
   करोल बाग, दिल्ली।

4. अजय कौशिक,
पुत्र - स्वर्गीय श्री मेम्बर सिंह

5. प्रीतम कौशिक,
पुत्र - स्वर्गीय श्री मेम्बर सिंह
निवासी - शिव मंदिर के सामने,
गली शनि बाजार वाली,
गांव एवं पोस्ट जौहरी पुर,
दिल्ली

6. श्रीमती संगीता रानी शर्मा
पत्नी - श्री दिनेश कुमार शर्मा,
पुत्री - स्वर्गीय श्री मेम्बर सिंह
पता- ए-33 (65) गली सं.7,
फेज -10, शिव विहार, दिल्ली ...प्रत्यर्थीगण

के द्वारा : प्रत्यर्थीगण सं. 3 हेतु सुश्री
ननीता शर्मा, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.बी. गुप्ता

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं ? हाँ

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

<u>न्या. वी.बी. गुप्ता,</u>

वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत (संक्षेप में "अधिनियम" के रूप में) प्रतिकर की राशि बढ़ाने की मांग करते हुए दायर की गयी है।

2. श्री ए.एस.यादव, न्यायाधीश एमएसीटी, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 18 मई, 2006 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी के पक्ष में याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 6% ब्याज सहित 1,32,200/- रुपए की राशि अधिनिर्णित किया गया था।

3. अधिनिर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

4. इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 1 अगस्त, 2002 को रात्रि लगभग 10.00 बजे मृतक मेम्बर सिंह एनआईसी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित वीएसएनएल कार्यालय से पैदल ही बस लेने के लिए निकटतम बस स्टॉप की ओर आ रहे थे। जब वह शहंशाह रेस्तरां, डब्ल्यूसी रोड के पास था, तो उसे एक पानी के टैंकर से टक्कर मार दी गई, जिसका नंबर डीएल 1 जी-0804 था, जिसे प्रत्यर्थी सं. 1, राजा राम यादव द्वारा तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था। मृतक की उसी दिन चोट लगने के कारण मृत्यु हो गयी। प्रत्यर्थी सं. 2, हरप्रीत वालिया, टैंकर का मालिक है और उल्लंघन कारी वाहन प्रत्यर्थी सं. 3/बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत था।

5. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 54 वर्ष थी और उसे 1,275/- रुपये की मासिक पेंशन मिल रही थी। याचिका में आगे कहा गया है कि पेंशन के अलावा, मृतक को पहले से ही मेसर्स मेघ इंजीनियरिंग वर्क्स के

साथ पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हुए 4,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे, जिसका मालिक उनका बेटा है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मृतक के पुत्र श्री अजय कौशिक, जो अभि.सा. 2 के रूप में पेश हुए हैं, ने रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि उनके पिता उनकी फर्म में कार्यरत थे और वह उन्हें 4,000 रुपये प्रति माह का वेतन देते थे। अभि.सा. 1 श्रीमती मेघवती, अपीलार्थी ने भी अभि.सा. 2 के बयान का समर्थन किया है। इन परिस्थितियों में, अधिकरण ने मृतक की कुल आय का आकलन 1275/- रुपये करने में गलती की।

7. यह भी तर्क दिया गया है कि मृतक दुर्घटना के समय सक्षम व्यक्ति था और काम कर रहा था और यहां तक कि यह मानते हुए कि मृतक के वेतन के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं रखा गया है, जो उसे अपने बेटे से मिल रहा था, क्योंकि वह एक सक्षम व्यक्ति था, वह आसानी से कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अर्जित कर सकता था। जनवरी, 2001 में मृतक का अंतिम वेतन लगभग 8,000/- रुपये से अधिक था और अधिकरण ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है।

8. दूसरी ओर, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वृद्धि के लिए कोई आधार नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि मृतक अपने बेटे की फर्म में काम करके 4,000 रुपये का वेतन प्राप्त कर रहा था, क्योंकि उनके बेटे की फर्म की खाता पुस्तिकाएं या आयकर रिटर्न रिकॉर्ड पर रखा गया है या साबित किया गया है। अधिकरण ने मृतक की आय का

आकलन 1275/- रुपये प्रति माह किया है जो उसे पेंशन के रूप में मिल रही थी और इसके अलावा, मृतक की कोई अन्य आय नहीं है।

9. शीर्ष न्यायालय ने कई मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि मोटर दुर्घटना के मामलों में मृतक की आय का आकलन करते समय, अधिकरण को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसका मूल्यांकन ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड पर विधिवत साबित किया जाना चाहिए।

10. इस संबंध में सामान्य नियम यह है कि जहां दुर्घटना के समय मासिक आय को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, तो दुर्घटना के समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा जा सकता है।

11. यह सच है कि अपीलार्थी ने इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा या साबित नहीं किया है कि मृतक को अपने बेटे की फर्म में काम करते हुए 4,000 / मासिक वेतन मिल रहा था। फिर भी, तथ्य यह है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 54 वर्ष थी और वह सक्षम व्यक्ति था और इस तरह वह कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अर्जित कर सकता था।

12. मृतक दिनांक 10-07-73 से दूरसंचार (डीओटी) में प्रधान चपरासी के रूप में कार्य कर रहा था और उसने दिनांक 01-01-90 को सभी पेंशन लाभों के साथ समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले ली थी। मृतक को जब उसके अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत सेवा से हटा दिया गया था तो उसने पुनः दिनांक 09.02.01 तक वीएसएनएल में शामिल हो परिचर मानव संसाधन (श्रेणी एनई-3) के रूप में सेवा की ।

13. इस प्रकार, मामले के तथ्यों को देखते हुए, अकुशल श्रमिक के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी को सुरक्षित रूप से ध्यान में रखा जा सकता है।

14. दुर्घटना की प्रासंगिक तिथि अर्थात दिनांक 01.08.02 को अकुशल कामगार के लिए न्यूनतम मजदूरी 2679.70/- रुपये अर्थात 2680/- रुपये थी।

15. अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार, वर्तमान मामले में 11 का उपयुक्त गुणक लागू किया गया है।

16. अब, प्रश्न यह उठता है कि क्या पेंशन जैसे लाभ के भुगतान को देय कुल प्रतिकर की राशि से घटाया जाना आवश्यक है या नहीं?

17. ***श्रीमती हेलेन सी रिबैलो और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य, एआईआर 1998 एससी 3191*** के मामले में पेंशन लाभों के विषय में शीर्ष न्यायालय ने पैरा 16 में कनाडा के ग्रांड ट्रंक रेलवे बनाम जेनिंग, (1888) 13 एसी 800 के मामले का उल्लेख किया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :-

> "निर्णयज विधि में, बीमा पॉलिसियों से आर्थिक लाभ, जो भी स्रोत हो, और पेंशन योजनाएं चाहे अंशदायी हों या गैर-अंशदायी, काट ली गयी थी। विभिन्न अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों से घातक दुर्घटना अधिनियम, 1846 के तहत देय प्रतिकर से कटौती के बारे में निर्णय की अस्थिर स्थिति का पता चलता है। विभिन्न राय व्यक्त की गई थी, कुछ दावेदार के पक्ष में जीवन बीमा या पेंशन पर देय किसी भी राशि को दावेदार को देय प्रतिकर में से कटौती से बाहर करने के लिए और अन्य तब तक कटौती नहीं करने के लिए, जैसा कि पूर्वोक्त है, इस मामले को घातक दुर्घटना अधिनियम, 1959 में

परिणत विभिन्न विधानों द्वारा शांत कर दिया गया था। इससे पहले तक, अधिनियम की प्रतिबंधात्मक भाषा की सीमा के भीतर और क़ानून के तहत किसी भी प्रेरक और मार्गदर्शक शब्दों के अभाव में, सामान्य कानून के तहत सामान्य सिद्धांतों को आर्थिक हानि और लाभ का पता लगाने के लिए लागू किया गया था। इस प्रकार, मृत्यु के कारण दावेदार को जो भी स्रोत मिलता है, उससे 'आर्थिक लाभ' की व्याख्या इसके व्यापक अर्थ को देते हुए की गई थी। बड़े क्षेत्र का यह आयाम न्यायालयों, विधायी और न्यायविदों की चिंता का कारण रहा है और बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का संदर्भ है कि क्या यह एक आर्थिक लाभ कटौती योग्य है, यदि ऐसा है, तो क्या किसी के विवेक, इक्विटी और निष्पक्षता का क्षरण हुआ है, खासकर अगर इसे मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में लागू किया जाता है ? इस आक्रमण से बचने के लिए, कुछ निर्णयों में कटौती के लिए व्याख्या करने से इनकार कर दिया और कुछ अन्य ने, कटौती योग्य होने के बावजूद पीड़ित के पक्ष में अपनी अंतरात्मा की आवाज उठाई। यह हमे अंग्रेजी निर्णयों और भारतीय निर्णयों दोनों में प्राप्त होता है।

शीर्ष न्यायालय ने पैरा 36 में पारिवारिक पेंशन के बारे में निम्नानुसार बताया है;

इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन भी एक कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के लाभ के लिए उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त सेवा शर्तों के संदर्भ में सेवा में उसके योगदान के रूप में अर्जित की जाती है। उत्तराधिकारियों को आकस्मिक मृत्यु के अतिरिक्त भी पारिवारिक पेंशन मिलती है। दोनों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। ”

18. इस न्यायालय ने ***दिल्ली परिवहन निगम बनाम मीना चतुर्वेदी और अन्य, 2006 एसीजे 406*** के मामले में अभिनिर्धारित किया कि ***हेलेन***

सी. रेबेलो (पूर्वोक्त) के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा, भविष्य निधि, पेंशन आदि में कटौती स्वीकार्य नहीं है।

19. ***एन. शिवम्मल और अन्य बनाम प्रबंध निदेशक, पांडियन रोडवेज कार्पोरेशन और अन्य, एआईआर 1985 106, के मामले में*** शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिकर की राशि से पेंशन के मौद्रिक लाभ को कम करना न्यायोचित के बिना है।

20. ***सावित्री देवी एवं अन्य बनाम पाला राम एवं अन्य, II (2000) एसीसी 152 (घख)*** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि दावेदारों की निर्भरता को कम करने के लिए विधवा को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर विचार नहीं किया जा सकता।

21. विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न अब अनिर्णीत नहीं रह गया है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकरण को संबंधित व्यक्ति को आय और अन्य लोगों को होने वाले नुकसान के आधार पर क्षतिपूर्ति/प्रतिकर के भुगतान पर विचार करना आवश्यक है, भले ही उन्हें बीमा, भविष्य निधि, पेंशन आदि जैसे लाभ प्राप्त हों या नहीं।

22. ***न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली और अन्य, एआईआर 2005 उच्चतम न्यायालय 2157,*** के मामले में शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है;

> "व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती का प्रतिशत क्या होगा, यह किसी कठोर नियम या सार्वभौमिक उपयोजन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

23. वर्तमान मामले में, जहां तक मृतक पर आश्रितों की संख्या का संबंध है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि उसका केवल एक आश्रित था यानी उसकी विधवा। मृतक का कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत खर्चों के लिए वार्षिक आय का आधा हिस्सा काट लिया जाता है।

24. इन सभी सिद्धांतों को लागू करते हुए, मृतक की मासिक आय 2,680/- रुपये (प्रतिमाह) x 12 = 32,160/- रुपये प्रति वर्ष और पेंशन का मौद्रिक लाभ 1,275/- x 12 रुपये, अर्थात् 15,300/- रुपये प्रति वर्ष, दोनों का कुल योग 47,460/- रुपये प्रति वर्ष बनता है।

25. इस प्रकार, व्यक्तिगत खर्चों के लिए आधी राशि काटने और 11 के गुणक को लागू करने के बाद, कुल मुआवजा 2,61,030/- रुपये (47,460/- रुपये x 11 x 1/2) आता है, जिसे 2,62,000/- रुपये के रूप में पूर्णांकित किया गया है।

26. उपर्युक्त चर्चा को देखते हुए, कुल प्रभाव यह है कि प्रतिकर में कुल 1,30,000/- रुपये की वृद्धि हुई है।

27. प्रतिकर की राशि में 1,30,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि करके अपील का निपटान किया जाता है।

28. बढ़ा हुआ प्रतिकर दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।

29. मैं निर्देश देता हूं कि बढ़े हुए प्रतिकर को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर योजना में, जो भी अधिकतम ब्याज दे रही हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा में रखा जाए।

30. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

31. विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को वापस भेजा जाए।

न्या. वी.बी. गुप्ता

जुलाई 28, 2008
बिष्ट

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*